

**अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,**  
समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल,  
जल संसाधन विभाग, 3री मंजिल, जल संसाधन भवन,  
अनिसाबाद, पटना।

E-Mail : sepipcirclepatna@gmail.com

**भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ) – 03/2025–26.**

पत्रांक- AA/54- 84

पटना, दिनांक-29/01/2026.

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, अनिसाबाद, पटना के अन्तर्गत प्रमंडलाधीन योजनाओं के अनुश्रवण, निरीक्षण एवं संबद्ध तथा असंबद्ध विभाग/निदेशालयों से डाटा संग्रह अथवा सम्पर्क कार्य तथा उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यों हेतु भाड़े पर अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, अनिसाबाद, पटना हेतु 01 (एक) अदद वातानुकूलित स्कार्पियो/समकक्ष निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 30.01.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि : दिनांक 07.02.2025 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान : समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 07.02.2025 को 03:00 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल, अनिसाबाद, पटना।  
(मोबाईल नं०- 9334173050)

**तकनीकी निविदा शर्त**

1. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
2. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी० एस० टी०, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
3. निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्रम	वाहन का प्रकार	इंधन रहित मासिक भाड़ा सभी करों यथा GST, IT etc. सहित

**नियम एवं शर्तें**


1. भाड़े पर वाहन मार्च 2026 तक लिया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल नवीनतम एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तैलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ-सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा किया जायेगा।
4. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़) कर की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म की होगी।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया इंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लौगबुक का संधारण वाहन चालक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया इंधन रहित भुगतान किया जायेगा।

10. मासिक न्यूनतम दर समाहरणालय पटना, पटना जिला नजारत शाखा द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रुपये 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा सतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यक नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है।
11. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
12. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्री समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगे।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाडे का भुगतान दोगुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
17. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।
18. वाहन मालिक/सेवा प्रदाता को वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग/कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निर्णित मासिक दर से इंधन रहित देय होगा।
19. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये इंधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
20. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता एवं रह सकता है उक्त हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 20 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।

शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।


विश्वासभाजन



(बिंदिया गुप्ता)

अधीक्षण अभियंता।


समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन  
अंचल, पटना।



पत्रांक- AA/54- 84


पटना, दिनांक-29/01/2026.

प्रतिलिपि:- जन सर्म्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने निमित्त उपलब्ध कराया जाता है।



(बिंदिया गुप्ता)


अधीक्षण अभियंता।



पत्रांक- AA/54- 84

पटना, दिनांक-29/01/2026.

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



(बिंदिया गुप्ता)

अधीक्षण अभियंता।

